राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 30/2014

रघुनाथ सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, डूंगरपुर।
2. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति सागवाडा, डूंगरपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 25.03.2014
आदेश की दिनांक : 18.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यंशवत मेहता, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अन्य समकक्ष 18 अप्रशिक्षित अध्यापकों के समान उसे भी 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने हेतु प्रत्यर्थी विभाग से अनुतोष चाहा है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को संविदा के आधार पर दिनांक 02.04.1985 के द्वारा संविदा अध्यापक के पद पर लगा गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.03.1991 तक प्रत्यर्थी विभाग में अपनी सेवाएं अर्पित की गई। तद्उपरान्त अपीलार्थी को सेवाच्युत कर दिया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.03.2013 के माध्यम से हटाए गए सभी संविदा अध्यापकों को पुनः सेवा में लेते हुए उन्हें नियमित कर्मचारी घोषित किया गया जिसमें अपीलार्थी को भी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर नियमित किया गया।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2013 के द्वारा प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित संविदा अध्यापकों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता एवं सेवा अनुभव का लाभ तथा सेवा व्यवधान की अवधि के लिए काल्पनिक वेतनवृद्धि देते हुए 159 संविदा पर नियुक्त अध्यापकों को उनकी पुनर्नियुक्ति तिथि से आर्थिक लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की गई। आगे कथन है कि उपरोक्त समस्त प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित अध्यापकों में से केवल मात्र अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा समस्त परिलाभों से वंचित रखा गया, जबकि अपीलार्थी के अलावा अन्य अपीलार्थी के समान शेष अन्य प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित अध्यापकों को समस्त परिलाभ प्रदान कर दिए गए। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रत्यर्थी

विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी ने अन्य समकक्ष 18 अप्रशिक्षित अध्यापकों के समान उसे भी 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी की तरफ से प्रस्तुत अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय लिखित प्रार्थना पत्रों के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

SD/-
(असलम मेहर)
सदस्य

SD/-
(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य